रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 30, 1972/चैत्र 10, 1894
No. 100] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 1972/CHAITRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1972.

G.S.R. 220(E).—In pursuance of section 9 of the Madras Port Trust Act, 1905 (Madras Act II of 1905), the names of the following persons who have been elected as Trustees of the Port of Madras for a period of two years with effect from the 1st day of April, 1972, are hereby published for general information :—

Name of elected person	Constituency from which elected
Shri K. S. G. Haja Shareeff Shri A. S. Marwah Shri N. S. Siamwala	The Southern India Chamber of Commerce and Industry.
Shri J. K. Bhuwalka Shri P. V. Ramanaiah	Andhra Chamber of Commerce.
Shri C. D. Gopinath Shri P. D. Whiteley	The Madras Chamber of Commerce and Industry.
Shri L. V. Ramaiah	Hindustan Chamber of Commerce.
Shri A. B. Ananthakrishnan	The Tamil Chamber of Commerce.
Shri F. G. Dastur	Indian National Shipowners' Association.
Shri M. Minor Moses	Corporation of Madras.

[No. F. 13-PG(7)/72]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन [illegible])

अधिसूचना

[illegible] 30 मार्च 197[illegible]

[illegible] मद्रास पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, 1905 (1905 का [illegible] ऐक्ट 2) की धारा 9 के अनुसरण में, निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, [illegible] 1972 [illegible] से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास पत्तन के न्यासी निर्वाचित हुए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं :—

निर्वाचित व्यक्ति का नाम	निकाय जहां से निर्वाचित हुआ
श्री के०एस० जी हाजा शरीफ	दि सदर्न इन्डिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड [illegible]
श्री ए०एस० मरवाह	
श्री एन०एस० श्यामवाला	
श्री जे०के० भुवालका	[illegible] चैम्बर आफ कामर्स ।
श्री पी०वी० रमनय्या	
श्री [illegible]	[illegible] मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री।
श्री पी० [illegible]	
श्री एल वी रम्य्या	हिन्दुस्तान चैम्बर आफ कामर्स
श्री ए० बी० अनन्तकृष्णन	दि तामिल चैम्बर आफ कामर्स ।
श्री एफ० जी० दस्तूर	इंडियन नेशनल शिप आनर्स एसोसिएशन मद्रास
श्री एम० माइकेल [illegible]	[illegible] निगम [illegible] मद्रास

[illegible] names of persons specified [illegible] the port of Kandla by the State or local bodies specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, for period of two years, with effect from the 1st day of April, 1972.

TABLE

Names of persons (1)	State or local bodies (2)
Shri Indravadan [illegible]	Gujarat Chamber of Commerce and Industry.
Shri V. N. Kak	Rajasthan Chamber of Commerce and Industry.
Shri R. C. Raval	Gandhidham Chamber of Commerce and Industry.
Shri H. S. Bahlaya	Northern India Chambers of Commerce and Industry.
Shri Keki Byram Cooper	Indian National Shipowners' Association.
Shri Premjibha V Khokhani	Federation of All India Sailing Vessels' Industry Associations.
Shri Roop Singh Chhagii	Gandhidham Municipality.

[No. 2-PG(5)/72]

सा०का०नि० 222(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों को, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा कोचीन के पत्तन के लिए न्यासियों के रूप में निर्वाचित किए गए हैं, 1 अप्रैल, 1972 से 2 वर्ष की अवधि के लिए, अधिसूचित करती है।

सारणी	
(1) व्यक्तियों के नाम	(2) राज्य या स्थानीय निकाय
श्री इन्द्रावदन माणेकलाल	गुजरात चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ।
श्री बी०एन० काक	राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ।
श्री आर०सी० रावल	गांधीधाम चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ।
श्री एच०एस० वलहुया	नोदर्न इंडिया चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ।
श्री काकी बाईराम कपूर	इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन
श्री प्रेमजी [illegible]	फेडरेशन आफ आल इंडिया सेलिंग वैसल्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ।
श्री रूप सिंह छाजी	गांधीधाम म्युनिसिपैल्टी ।

G.S.R. 222(E).—In pursuance of sub-section (6) of section 3 of the Major Ports Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby notifies the names of persons specified in column (1) of the Table below, who have been elected as Trustees for the port of Cochin by the State or local bodies specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, for a period of two years with effect from the 1st day of April, 1972.

TABLE	
(1) Names of persons.	(2) State or local bodies
Shri N. B. Menon	The Cochin Chamber of Commerce and Industry.
Shri K. Narayana Menon	The Indian Chamber of Commerce.
Shri M. L. Parekh	Federation of All India Sailing Vessels Industry Associations.
Shri F. Collis	The Indian National Shipowners' Association.
Shri P. Subramania Iyer	Ernakulam Chamber of Commerce.

[No. 6 PG(8)/72]

में विनिर्दिष्ट राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा कोचीन के पत्तन के लिए न्यासियों के रूप में निर्वाचित किए गए हैं, प्रथम अप्रैल, 1972 से 2 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित करती है ।

सारणी

व्यक्तियों के नाम	राज्य या स्थानीय निकाय
(1)	(2)
श्री ए न० बी० मेनन	दि कोचीन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री
श्री के० नारायण मेनन	दि इंडियन चैम्बर आफ कामर्स
श्री एम०एल० पारेस	फेडरेशन आफ आल इंडिया सेलिंग वैसल्स इंडस्ट्री एसोसिएशन
श्री एफ० कालिस	दि इंडियन नैशनल शिप ओनर्स) एसोसिएशन
श्री पी० सुब्रामानिया अय्यर	एर्नाकुलम चैम्बर आफ कामर्स

[सं० 6–पी० जी० (8)/72]

G.S.R.223(E).—In pursuance of sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby notifies the names of persons specified in coloumn (1) of the Table below, who have been elected as Trustees for the port of Mormugao by the State or local bodies specified in the correspond ng entry in column (2) of the said Table, for a period of two years, with effect from the 1st day of April, 1972.

TABLE

Names of persons	State or local bodies
(1)	(2)
Shri V. M. Salgaocar	Indian Natiofial Shipowners' Association.
Shri Ishwarbhai G. Desai	Federation of All India Sailing Vessels Industry Associations.
Shri Vasantrao S. Dempo	Goa Mineral Ore Exporters' Association.
Shri M. S. Talaulicar	Goa Mining Association.
Shri V. D. Chowgule	Goa Chamber of Commerce and Industry.
Shri Anil Vassudev Salgaocar	
Shri R. D. Pusalkar	Mahratta Chamber of Commerce and Industries
Shri Jadulal Hiralal Thakker	Andhra Chamber of Commerce.
Shri Mustafa Khan	Mormagao Municipal Council.

[No. 7-PG(4)/72]

सा०का०नि० 223(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों को, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी

प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा मोरमुगाओ के पत्तन के लिए न्यासियों के रूप में निर्वाचित किए गए है, प्रथम अप्रैल, 1972 से 2 वर्ष की अवधि के लिए, अधिसूचित करती है ।

सारणी

व्यक्तियों के नाम	राज्य या स्थानीय निकाय
(1)	(2)
श्री बी०एम० खालगोकर	इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन
श्री ईश्वर भाई जी० देसाई	फेडरेशन आफ आल इंडिया सेलिंग बैसल्स इंडस्ट्री एसोसिएशन
श्री बसन्तराव एस० डेम्पो	गोआ मिनरल और एक्सपोर्टस एसोसिएशन ।
श्री एम० एस० तलौलीकर	गोआ माईनिंग एसोसिएशन ।
श्री बी०डी० चौगले	
श्री अनिल वासुदेव सालगोकर	गोआ चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री
श्री आर० डी० सुसलकर	महाराष्ट्रा चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीस
श्री जावुलाल हीरा लाल ठक्कर	आंध्रा चैम्बर आफ कामर्स ।
श्री मुस्तफा खान	मोरमुगाओ म्युनिसिपल कौंसिल

[सं० 7-पी० जी० (4)/72]

G.S.R. 224(E).—In pursuance of sub-section (2) of section 6 of the Calcutta Port Act, 1890 (Bengal Act III of 1890), the names of the following persons who have been elected as Commissioners for the Port of Calcutta for a period of two years with effect from the 1st day of April, 1972 are hereby published for general information :—

Name of elected person	Constituency from which elected
Shri Amitava Palchoudhrui Shri Milan Sen Shri Subroto Ghosh	Bengal National Chamber of Commeorce & Industry.
Shri Sanjoy Sen	
Shri P. K. Kanoria Shri N. K. Sen	Indian Chamber of Commerce
Shri B. G. Bangur	The Bengal Chamber of Commerce & Industry.
Shri H. L. Somany	Merchants' Chamber of Commerce.
Shri R. N. Bangur	Bharat Chamber of Commerce.
Shri Anwar Mahmood	The Oriental Chamber of Commerce.
Shri N. M. Trivedi	The Indian National Shipowners' Association.
Shri S. Ghosh	Howarah Municiapality.

[No. F. 9-P.G. (8)72]

सा०का०नि० 224(अ).—कलकत्ता पोर्ट ऐक्ट, 1890 (1890 का 7) की धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसरण में, निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, जो अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन से दो वर्ष की अवधि के लिए कलकत्ता पत्तन के आयुक्त निर्वाचित हुए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं :—

निर्वाचित व्यक्ति का नाम	निर्वाचित-क्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ
श्री अभिताभ पोद्दार श्री मिलन सेन श्री सुव्रतो घोष	बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ।
श्री संजय सेन श्री पी० के० कनौडिया	इन्डियन चेम्बर
श्री एन० के० सेन श्री बी० जी०	दि बंगाल चेम्बर आफ कामर्स ।
श्री एच० एस० सीमानी	मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ कामर्स ।
श्री आर० एन० बंगुर	भारत चेम्बर आफ कामर्स ।
श्री अनवर महमूद	दि ओरिएण्टल चेम्बर आफ कामर्स ।
श्री एन० एम० त्रिवेदी	दि इण्डियन नेशनल शिप आनर्स एसोसिएशन ।
श्री एस० घोष	हावड़ा नगर पालिका

[सं० फा० 9-पी० जी० (8)/72]

G.S.R.225(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri G. S. Dhara Singh and Shri M. K. Raghavan as Trustees representing the Board of Trustees for the Port of Cochin for a period of two years with effect from the 1st April, 1972.

[No. 6-PG(34)/71]

सा०का०नि० 225(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री जी० एस० धारा सिंह और श्री एम० के० राघवन को 1 अप्रैल, 1972 से दो वर्ष की अवधि के लिए कोचीन पत्तन के न्यासियों के बोर्ड पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासी एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[सं० 6-पी० जी० (34)/71]

G.S.R. 226(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri G. D. Bhalkamkar and Shri K. A. Khan as Trustees representing labour on the Board of Trustees for the Port of Mormugao for a period of two years with effect from the 1st April 1972.

[No. 7-PG(26)/71]

सा०का०नि० 226(अ).—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री जी० डी० भडकामकर और श्री के० ए० खान को 1 अप्रैल, 1972 से दो वर्ष की अवधि के लिए मोरमुगाओ पत्तन के न्यासियों के बोर्ड पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली न्यासी एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० 7-पी जी० (26)/71]

G.S.R. 227(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub section (1) of section 3 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Arunkant Shah and Shri N. R. Ayachi as Trustees representing labour on the Board of Trustees for the Port of Kandla for a period of two years witheffect from the 1st April 1972.

[No. 2-PG(64)/71]

सा०का०नि० 227(अ).—महापत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री अरुण कान्त शाह और श्री एन० आर० अगाची को 1 अप्रैल, 1972 से दो वर्ष की अवधि के लिए कान्डला पत्तन के न्यासियों के बोर्ड पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासी एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं 2-पी जी० (64)/71]

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Madras Port Trust Act, 1905 (Madras Act II of 1905), the Central Government hereby appoints Shri V.D.C. Arthur Pillai and Shri S. Krishnan as Trustees representing labour on the Board of Trustees for the port of Madras for a period of two years with effect from the 1st April 1972.

[No. 13-P.G.(50)/71]

K. SIVARAJ, Jr. Secy.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

सा०का०नि० 228(अ).—मद्रास पत्तन न्यास अधिनियम, 1905 (1905 का मद्रास अधिनियम 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड(ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एस० सी० सी० एन्थोनी पिल्ले और एस० कृष्णन को 1 अप्रैल 1972 से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास पत्तन के न्यासियों के बोर्ड पर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यासी एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० 13-पी जी (50)/71]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972